।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no- 01372–252175

पत्रांक 1135 /12–1 , गोपेश्वर, दिनांक 27/09/ 2018।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर।

विषयः– जनपद चमोली में अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत विकासखण्ड जोशीमठ में न्याय पंचायत मुख्य ग्राम द्वींग तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.10 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी का पत्रांक 664/FP/UK/Road/9495/2015 दिनांक 06.09.218

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में भारत सरकार की पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/75/2016/एफ0सी0/1135, दिनांक 06.09.2018 से कतिपय शर्तो के अधीन सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुसार डिमाण्ड मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा हैः–

1– शर्त सं0–01 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.20 है0 ग्राम कालगोठ सिविल सोयम भूमि पर वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु देय धनराशि रू0 11,70,393.00(रू0 ग्यारह लाख सत्रह हजार तीन सौ तिरानब्बें) मात्र जमा की जानी है, एवं उक्त सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण एवं हस्तान्तरण किया जायेगा।

2– शर्त सं0–02 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) हेतु देय धनराशि रू 17,74,500.00 (रू सत्रह लाख चौहत्तर हजार पांच सौं) मात्र जमा की जानी है।

ईको क्लास	ईको क्लास घनत्व	धनराशि	है0	देय धनराशि (लाख में) कॉलम(3 x 4)
1	2	3	4	5
V	0.6 (Dense forest)	8,45,000.00	2.10	17,74,500.00

3– शर्त सं0–03 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन वद्वता प्रस्तुत करनी होगी।

4– शर्त सं0 04 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0 01 व 02 में देय धनराशि ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की जायेगी तथा सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

5– शर्त सं0–05 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क के निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।

अतः उक्त प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने के उपरान्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के Forestclearance.nic.in पर online अपने user account में जाकर Stage II Clearance में पहले mutation की detail (यदि लागू हो) भरकर एवं समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या online एवं आफॅलाईन (चार हार्ड प्रतियों मे) इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। तत्पश्चात् विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

पंत्राकः– / दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर